(31)

अनुसूची 14– फारम सं. 612

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या.....01/17–18

केश का प्रकार श्री रामाश्रय ठाकुर, तत्कालीन नाजिर, प्रखण्ड–राजनगर सम्प्रति कनीय लेखा लिपिक, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, पूर्णियॉ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
25.05.2017	जिला पदाधिकारी, मधुबनी का आदेश ज्ञापांक–484/जि0स्था0दिनांक–30.3.2017 द्वारा श्री रामाश्रय ठाकुर, तत्कालीन नाजिर, प्रखण्ड–राजनगर सम्प्रति कनीय लेखा लिपिक, अधीक्षण अभियंता कार्यालय, पूर्णियॉ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित हैं। आरोप पत्र प्रपत्र–'क' पर आरोपी कर्मी का पक्ष प्राप्त किया गया तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर द्वारा मंतव्य दिया गया। वस्तु–स्थिति निम्नवत् पायी गयीः– **आरोप पत्र प्रपत्र–क में गठित आरोपः–** आप इस कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक नाजीर के प्रभार में थे। उक्त अवधि में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रतीक्षा सूची में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, एवं प्रभारी लिपिक इंदिरा आवास योजना के द्वारा आरोही क्रम को तोड़कर अवैध रूप से इंदिरा आवास के लाभुकों को लाभान्वित किया गया था। चूँकि उक्त अवधि में आप प्रखंड नाजिर के प्रभार में थे इसलिए आपकी भी संलिप्तता परिलक्षित होता है। आपका यह कृत सरकारी कार्यो के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। **आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरणः–** 1– आरोपकर्ता श्री हरेराम मंडल ने पटवारा उत्तरी पंचायत में इंदिरा आवास योजना के मुखिया, पंचायत सचिव तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के विरूद्ध आरोप लगाये हैं, जिन्होंने षडयंत्र रचकर तथा नजराना लेकर गलत तरीके से इंदिरा आवास का लाभ दिये हैं। 2– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पंचायत सचिव द्वारा बी0पी0एल0की स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर बनाई गई कोटिवार चयन सूची की जॉच करने पर कुल 29 लाभान्वितों के चयन में आरोही क्रम अवक्रमित की बात सही है। पंचायत सचिव ने अधिक्रमण के संदर्भ में परिस्थिति तथा कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। 3– इस प्रकार प्रखण्ड नाजीर के विरूद्ध न तो आरोप पत्र में आरोप है और न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजनगर के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख है। 4– इंदिरा आवास अथवा किसी योजना के चयन/स्वीकृति में नाजीर का कोई कार्य एवं दायित्व नहीं होता है। उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी/स्वीकृति के आदेश पर सरकारी राशि से चेक के द्वारा भुगतान करना मात्र कार्य है। 5– यदि चयन/स्वीकृति में किसी प्रकार की अनियमितता/गड़बड़ी होती है तो पदाधिकारी तथा उससे सम्बद्ध लिपिक/पर्यवेक्षक को दोषी माना जा सकता है। 6– नाजिर का दायित्व स्वीकृति के अनुसार भुगतान करना मात्र है। 7– मैंने भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के आदेश के अनुरूप इंदिरा आवास के लाभुकों को मात्र भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से किया है। इसके चयन/स्वीकृति में मेरी कोई संलिप्ता सहभागिता तथा सहमति नहीं है। चयन/स्वीकृति करना मेरा कार्य एवं दायित्व नहीं है। 8– आरोप गठन करने से पूर्व इस मामले में आरोपी पदधिकारी/कर्मचारी के कार्य एवं दायित्वों पर पूर्ण विचार करना चाहिए था जो कार्य एवं दायित्व नाजिर का है ही नही तो उसके लिये नाजिर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता है साथ ही कार्य करने वाले कर्म0/पदा0इस तरह की आधारहीन तथा अनावश्यक कार्यवाही से	

हतोत्साहित होते है।

9— इंदिरा आवास के चयन/स्वीकृति में कथित अनियमितता (आरोही क्रम का अधिकमण) में मेरी कोई संलिप्तता स्वीकृति करना नाजिर का कार्य एवं दायित्व ही नहीं है। मैंने आदेश के अनुरूप राशि का भुगतान मात्र किया है। आरोप पत्र तथा जॉच प्रतिवेदन में भी मेरे विरूद्ध कोई आक्षेप नहीं है। मैं पूर्णतः निर्दोश हूँ। आरोप निराधार काल्पनिक तथा अनावश्यक है। अतः दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी—सह—प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर के पत्रांक—807 दिनांक 17.05.2017 से प्राप्त मंतव्यः—

आरोप द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सत्य प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी चेक या एडभाईस पदाधिकारी के आदेश के आलोक में ही निर्गत किया जाता है। इंदिरा आवास के चयन एवं प्रतीक्षा सूची निर्माण मूलतः पंचायत सेवक का कार्य है जिसमें तत्कालीन पंचायत सचिव ने लापरवाही बरती हे। पंचायत सचिव द्वारा निर्मित प्रतीक्षा सूची के आधार पर तत्कालीन प्रखंड नाजिर को भुगतान का आदेश दिया गया। फलतः इसमें नाजिर की संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगमः—

आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र—क में मुख्य आरोप इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आरोही क्रम को तोड़ना। उपस्थापन पदाधिकारी—सह—प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर का मंतव्य है कि इसके लिए मुख्य रूप से दोषी पंचायत सचिव होते हैं नाजिर की संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः—

उपस्थापन पदाधिकारी—सह—प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर से प्राप्त मंतव्य के आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

अधिगम/जॉच प्रतिवेदन से संबंधित मूल अभिलेख स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजें। अधिगम की प्रति जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ भी भेजें।

लेखापित

संचालन पदाधिकारी—सह—
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

संचालन पदाधिकारी—सह—
अपर समाहर्ता, मधुबनी।